2021 का विधेयक संख्यांक 124 .

[दि कांस्टीट्यूशन (वन हन्ड्रेड एंड ट्वेन्टी-सेवन्थ अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अनुच्छेद 338ख का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 338ख के खंड (9) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस खंड की कोई बात अनुच्छेद 342क के खंड (3) के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होगी ।"।

अनुच्छेद 342क का संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 342क में,—

(क) खंड (1) में, "सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए," शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के प्रयोजनों के लिए," शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**–खंड (1) और खंड (2) के प्रयोजनों के लिए "केंद्रीय सूची" अभिव्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की तैयार की गई और रखी गई सूची अभिप्रेत है ।

(3) खंड (1) और खंड (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकेगा और रख सकेगा, जिसमें प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकेंगी ।'।

अनुच्छेद 366 का संशोधन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (26ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(26ग) "सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों" से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जिन्हें, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342क के अधीन ऐसा समझा गया है ।'।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 ने संविधान में तीन नए अनुच्छेद अंत:स्थापित किए हैं, अर्थात् अनुच्छेद 342क, अनुच्छेद 366(26ग) और अनुच्छेद 338ख । जबकि अनुच्छेद 338ख ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, अनुच्छेद 342क सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (सामान्यत: अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में ज्ञात) की केंद्रीय सूची से संबंधित है तथा अनुच्छेद 366(26ग) ने सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया है ।

2. संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 पारित करते समय विधायी आशय यह था कि यह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की केंद्रीय सूची से संबंधित है । यह इस तथ्य को मान्यता देता है कि 1993 में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की केंद्रीय सूची की घोषणा से भी पूर्व, कई राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी राज्य सूची/संघ राज्यक्षेत्र सूची है । संसद् में इसी को स्पष्ट किया गया कि राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की स्वयं की पृथक् राज्य सूची/संघ राज्यक्षेत्र सूची बनाए रख सकेंगे । पिछड़े वर्गों की ऐसी राज्य सूची या संघ राज्यक्षेत्र सूची में सम्मिलित जातियां या समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की केंद्रीय सूची में सम्मिलित जातियों या समुदायों से भिन्न हो सकेंगी ।

3. यद्यपि, 1993 से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की पृथक् सूचियां सदैव विद्यमान थीं, संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के पश्चात् एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि क्या संविधान के उक्त संशोधनों में प्रत्येक राज्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) को विनिर्दिष्ट करते हुए, तद्द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की पृथक् सूची तैयार करने और बनाए रखने की राज्य की शक्ति छीनकर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की एकल केंद्रीय सूची हेतु आदेश था ।

4. यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट करने के लिए कि राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की स्वयं की राज्य सूची/संघ राज्यक्षेत्र सूची तैयार करने और उसे बनाए रखने के लिए सशक्त हैं तथा इस देश की संघीय संरचना बनाए रखने के दृष्टिकोण से, संविधान के अनुच्छेद 342क का संशोधन करने तथा अनुच्छेद 338ख और अनुच्छेद 366 में पारिणामिक संशोधन करने की आवश्यकता है ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
4 अगस्त, 2021

वीरेंद्र कुमार

उपाबंध

भारत का संविधान से उद्धरण

* * * * *

सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग ।

342क. (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

* * * * *

परिभाषाएं ।

366. इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित पदों के निम्नलिखित अर्थ हैं, अर्थात् :–

* * * * *

(26ग) ''सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों'' से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342क के अधीन ऐसा समझा गया है ;

* * * * *